

## कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक : 361/दो-22-1/07-24

रतलाम, दिनांक : 29.05.2024

इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ निम्नानुसार उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारीगण का उनके नाम के सम्मुख दर्शाई अवधि का ग्रीष्मकालीन अवकाश मय मुख्यालय की अवधि सहित स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	नाम अधिकारी एवं पद	स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि	दि व स	मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि	अवकाश की अवधि में कार्यरत अधिकारी
1	श्री प्रयाग लाल दिनकर विशेष न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 16.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीन्द्राधि
2	श्री आदित्य रावत, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 08.06.2024 तक एवं दि. 18.06.2024 से 22.06.2024	11	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 10.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक एवं दि. 16.06.24 के न्या. समय पश्चात से दि 24.06.24 के न्याया. समय पूर्व तक	श्री शैलेश भदकारिया (दिनांक 03.06.2024 से दिनांक 08.06.2024) श्री अरविंद श्रीवास्त (दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 22.06.2024)
3	श्री आशीष श्रीवास्तव द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 16.06.2024 तक	श्रीमती बरखा दिनकर,
4	श्रीमती बरखा दिनकर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024	11	14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री आशीष श्रीवास्तव,
5	श्री शैलेश भदकारिया पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 14.06.2024 से दिनांक 28.06.2024	15	13.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री आदित्य रावत 14.06.2024 श्री राजेश नामदेव (दि. 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024)
6	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीन्द्राधि, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024	11	14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री निर्मल मंडोरिया
7	श्री राजेश नामदेव, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 15.06.2024 तक	श्री शैलेश भदकारिया (दिनांक 03.06.2024 से दिनांक 13.06.2024) श्री आदित्य रावत 14.06.2024

8	श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 17.06.2024 तक	श्रीमती बरखा दिनकर
9	श्री निर्मल मंडोरिया, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 15.06.2024 तक	श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि
10	श्री जगबहादुर सिंह राजपूत, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री रवि प्रकाश जैन
11	श्री रवि प्रकाश जैन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा	दि. 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024	11	14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 29.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्रीमती उषा तिवारी
12	श्रीमती उषा तिवारी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा के प्रथम अति न्यायाधीश	दि. 03.06.2024 से दिनांक 14.06.2024	12	01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक	श्री रवि प्रकाश जैन
13	श्री संदीप कुमार सोनी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट	दि. 10.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक एवं दि. 24.06.2024 से 27.06.2024	9	08.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक एवं दि. 22.06.24 के न्या. समय पश्चात से दि 28.06.24 के न्याया. समय पूर्व तक	श्री रवि प्रकाश जैन (दि. 10.06.2024 से दिनांक 14.06.2024) एवं श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत (दि. 24.06.2024 से दिनांक 27.06.2024)

इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण का उनके नाम के सम्मुख दर्शाई अवधि का ग्रीष्मकालीन अवकाश मय मुख्यालय की अवधि सहित स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पदनाम	अवकाश की अवधि	मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	श्री मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री डी.पी. सूत्रकार	श्री अनुपम तिवारी
2	श्री मनीष अनुरागी, स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, रतलाम	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्रीमती मुग्धा कुमार	सुश्री सपना कनोडिया
3	श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 से दि. 28.06.2024 तक।	श्रीमती सपना कनोडिया	श्रीमती मुग्धा कुमार


4	श्री अनुपम तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्रीमती मुग्धा कुमार	श्री अतुल श्रीवास्तव
5	सुश्री कृतिका सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री अनुपम तिवारी	श्री डी.पी. सूत्रकार
6	सुश्री सपना कनौडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 31.05.2024 से दि. 17.06.2024 तक।	श्री डी.पी. सूत्रकार	श्री अनुपम तिवारी
7	श्रीमती मुग्धा कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 17.06.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व तक।	सुश्री आकांक्षा गुप्ता	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
8	सुश्री आकांक्षा गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 18 जून से 26 जून 2024, कुल 09 दिवस	दि. 16.06.2024 से दि. 26.06.2024 तक।	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्रीमती सपना कनौडिया
9	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 16.06.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्री अतुल श्रीवास्तव	श्रीमती सपना कनौडिया
10	श्री अतुल श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 17.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव	सुश्री आकांक्षा गुप्ता
11	सुश्री प्रगति आसाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रतलाम	दि. 06 जून से 14 जून 2024, कुल 09 दिवस	दि. 05.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	सुश्री आकांक्षा गुप्ता	सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव
12	श्रीमती नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	मातृत्व अवकाश पर है।	-	-	-
13	श्री राहुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	दि. 10 जून से 22 जून 2024, कुल 13 दिवस	दि. 08.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 23.06.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व तक।	श्री अभिषेक सोनी दि. 10.06.2024 से दि. 14.06.2024 श्री एकाग्र चतुर्वेदी दि. 18.06.2024 से दि. 22.06.2024	श्री एकाग्र चतुर्वेदी दि. 10.06.2024 से दि. 14.06.2024 सुश्री सपना कनौडिया दि. 18.06.2024 से दि. 22.06.2024
14	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्री एकाग्र चतुर्वेदी दि. 18.06.2024 से दि. 22.06.2024 श्री राहुल यादव दि. 24.06.2024 से दि. 28.06.2024	श्री अतुल यादव

15	श्री एकाग्र चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	दि. 03 जून से 08 जून 2024 एवं दि. 24 जून से 28 जून तक, कुल 11 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 10.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक एवं दि. 22.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक	श्री अभिषेक सोनी दि. 03.06.2024 से दि. 08.06.2024 श्री राहुल यादव दि. 24.06.2024 से दि. 28.06.2024	श्री राहुल यादव दि. 03.06.2024 से दि. 08.06.2024 श्री अतुल श्रीवास्तव दि. 24.06.2024 से दि. 28.06.2024
16	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री अंकित भुजंग	श्री दीपक कनेरिया
17	श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री दीपक कनेरिया	श्री अंकित भुजंग
18	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 16.06.2024 के दोपहर 12:00 बजे तक।	श्री ऋचा द्विवेदी भुजंग	श्री दीपक कनेरिया
19	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्री अरविन्द कुमार बरला	श्री नानसिंह ताहेड़
20	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्री नानसिंह ताहेड़	श्री अरविन्द कुमार बरला
21	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार	श्री नानसिंह ताहेड़
22	सुश्री नेहा सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जावरा	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	सुश्री पलक सिंघई	श्री दीपक कनेरिया
23	सुश्री पलक सिंघई, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जावरा	दि. 17 जून से 28 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 14.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	सुश्री रिया सिंह	सुश्री नेहा सिंह
24	सुश्री रिया सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जावरा	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	सुश्री पलक सिंघई	श्री अंकित भुजंग

25	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 02.06.2024 से दि. 16.06.2024 तक।	श्री गवेन्द्र सिसोदिया	श्रीमती समीक्षा सिंह
26	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 16.06.2024 की रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व तक।	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्री गवेन्द्र सिसोदिया
27	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी	सुश्री मधुबाला सोलंकी
28	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 15.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	सुश्री मधुबाला सोलंकी	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी
29	श्री अरहम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, आलोट	दि. 18 जून से 28 जून 2024, कुल 11 दिवस	दि. 14.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 29.06.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक।	श्री संजय शाक्य	सुश्री आकांक्षा गर्ग
30	सुश्री आकांक्षा गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, आलोट	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री अरहम खान	श्रीमती समीक्षा सिंह
31	श्री संजय शाक्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, आलोट	दि. 03 जून से 14 जून 2024, कुल 12 दिवस	दि. 01.06.2024 के न्यायालयीन समय पश्चात से दि. 18.06.2024 के न्यायालय समय पूर्व तक।	श्री अरहम खान	श्री गवेन्द्र सिसोदिया

- उपरोक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश में अति आवश्यक आपराधिक एवं सापत्तिक कार्य की जो व्यवस्था जिन अधिकारीगण के पास है उसमें से किसी कारणवश यदि परिवर्तन होता है अथवा कोई प्रभार छूट जाता है तो उसके स्थान पर कार्यालय द्वारा पूर्व में वर्ष 2024 के लिये जो कार्य विभाजन पत्रक (सापत्तिक एवं आपराधिक) का जारी किया गया उसके तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम द्वारा 2024 के लिये जारी आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार ही व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
- ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में यदि मुख्यालय स्थापना पर किसी आकस्मिकता के आधार पर उच्च न्यायिक सेवा के कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तब आकस्मिक कार्य मुख्यालय स्थापना पर उपस्थित उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा देखा जावेगा और यदि जिला स्थापना पर कोई भी उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो आकस्मिक कार्य जिले में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।
- उपरोक्त अवकाश की अवधि के अलावा यदि कोई अधिकारी किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश पर रहता है अथवा उनका पद अन्यथा रिक्त रहता है अथवा कोई अधिकारी स्थानांतरण या अन्य किसी कार्यवाही के कारण पद पर उपस्थित होकर कार्य करने में असमर्थ है तो मुख्यालय रतलाम और सैलाना में उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट उक्त अधिकारी का आवश्यक कार्य अपने को प्रभार में प्राप्त कार्य के अतिरिक्त संपादित करेंगे तथा जावरा एवं आलोट तहसील न्यायालय में पदस्थ किसी न्यायिक अधिकारी के अवकाश अथवा उनका पद रिक्त होने की अवस्था में जावरा और आलोट में से जो भी मजिस्ट्रेट हो वह आवश्यक कार्य एवं रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।


- 4- उक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा यदि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा अवकाश पर जाने की आवश्यकता पड़ती है या वह अन्यथा अपने पद पर उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह आवेदन देने के पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को पूर्व में सूचित करेंगे और अनुमति प्राप्त करेंगे।
- 5- उक्त अवकाश पर जाने वाले अधिकारी अवकाश पर जाने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके मुख्यालय छोड़ने के पूर्व प्रभारी न्यायाधीश मुख्यालय पर उपस्थित हो गये है अथवा नहीं।
- 6- उपरोक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में यदि किसी मजिस्ट्रेट के मुख्यालय से बाहर रहने का अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत है, जबकि उनकी रिमाण्ड ड्यूटी सार्वजनिक अवकाश के दिन नियत है, तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी भी प्रभार अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा ही निष्पादित की जावेगी।
- 7- स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश अपरिहार्य परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा तथा न्यायिक अधिकारी को तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना पड़ेगा।

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 रतलाम (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक : 1611/दो-22-1/07-24  
 प्रतिलिपि :-

रतलाम, दिनांक 29 05.2024

- 1- विशेष न्यायाधीश, रतलाम
  - 2- समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम/जावरा/आलोट
  - 3- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
  - 4- समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
  - 5- प्रस्तुतकार जिला न्यायालय रतलाम.
  - 6- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट
  - 7- अभियोजन कार्यालय रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना
  - 8- प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहा. लेखापाल/ तलबाना अनुविभाग/नजारत अनुभाग/ प्रधान न्यायालय रतलाम
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 रतलाम (म.प्र.)